राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(26) ग्राविवि/ग्रुप–5/सां./PMAYG/विविध–I/2018–19 जयपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2018

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :– इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण करवाये जाने बाबत् ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक दि. 26.07.18 के क्रम में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक M-13015/03/2017-RH(A/c) Meeting (e.file no. 356283) dated 20th August, 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के बंद होने के फलस्वरूप निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण/Writing off कराये जाने के बाबत् दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें :–

1. योजनान्तर्गत खोले गये सभी खातों को बन्द करवा दिया जावें।
2. आवासॉफ्ट पर अपूर्ण इन्दिरा आवासों की वित्तीय जानकारी आवाससॉफ्ट पर Single Page Entry में इन्द्राज कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये, जिनकी पालना में प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें :–

1. ऐसे लाभार्थी जिनके द्वारा योजनान्तर्गत जारी राशि लौटा दी गई हो, की भी स्वीकृतियां निरस्त कर, निरस्ती आदेश में राशि वापस प्राप्त करने तथा राशि प्राप्त होने के उपरांत स्टेट नोडल खाते में जमा करा दिये जाने के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करें।
2. ऐसे लाभार्थी जिनकी मृत्यु उपरांत कोई विधिक वारिस नहीं है, इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करते हुये आवास हेतु जारी अनुदान को writing off किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित करें। उक्त आवासों को यदि ग्राम पंचायत अपने स्तर से योजनान्तर्गत लाभार्थी को देय शेष अनुदान राशि से या अपनी निजी आय से पूर्ण करवाकर सार्वजनिक कार्य में लेने की इच्छुक हो तो तदानुसार प्रस्ताव विभाग को प्रकरणवार/ग्राम पंचायतवार प्रेषित करें।
3. ऐसे प्रकरण जिसमें लाभार्थी स्थायी रूप से पलायन कर गये हो, तो प्रकरण को writing off हेतु प्रेषित किया जावें। साथ ही यदि ऐसे लाभार्थियों को ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई हो तो ग्राम पंचायत पट्टा निरस्त कर आवासों को शेष अनुदान/स्वयं की निजी आय से पूर्ण करवाना चाहती है तो प्रस्ताव विभाग को प्रकरणवार/ग्राम पंचायतवार प्रेषित करें।
4. ऐसे लाभार्थी जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही निवास कर रहे हैं परन्तु आवास पूर्ण नही करवा रहे हैं, के विरूद्ध नियमानुसार Recovery Proceding /FIR दर्ज करावें और साथ ही यदि ग्राम पंचायत इन आवासों को अपने स्तर से, लाभार्थी की सहमति से पूर्ण कराना चाहती है तो ग्राम पंचायत एवं लाभार्थी की सहमति के साथ प्रस्ताव प्रेषित करें।
5. ऐसे सभी आवास जिनके लाभार्थियों को स्वीकृति उपरांत राशि हस्तानान्तरित नहीं की गई हो, की स्वीकृति निरस्त कर विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करावें। जिससे आवाससॉफ्ट से स्वीकृतियों को हटवाया जा सके।

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि